क्रमांक 45/22/90-5 जी.एस.I.

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला, हिसार, रोहतक तथा गुड़गांव मंडल।

2. सभी उपायुक्त तथा सभी उप मंडल अधिकारी (नागरिक) हरियाणा राज्य।

3. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय।

दिनांक चण्डीगढ़ 13 सितम्बर, 1991.

विषय :—सामान्य स्थानान्तरण नीति—राजपत्रित अधिकारियों का गृह जिले में स्थानान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर मुझे आपका ध्यान आकर्षित करते हुये यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार के ध्यान में आया है कि कई विभाग सरकार के परिपत्र क्रमांक 45/7/89-5 जी.एस.-I. दिनांक 7-4-1989 द्वारा जारी की गई हिदायतों के पैरा (5) का पालन दृढ़ता से नहीं करते या राजपत्रित अधिकारियों को उनके गृह जिले में लगाने के लिए किसी न किसी आधार पर केस हिदायतों में छूट प्रदान करने के लिये मुख्य सचिव को भेजते हैं। हिदायतों के पैरा (5) में सरकार ने इस उद्देश्य से यह व्यवस्था की थी कि केवल उन अधिकारियों/विभागों को छोड़कर जिनका उल्लेख इन हिदायतों में किया गया है किसी राजपत्रित अधिकारी को उसके गृह जिले में न लगाया जाए। इन हिदायतों में छूट तभी दी जानी चाहिये जब कि ऐसा किया जाना कुछ मामूल आधार एवं मानवीय दृष्टि से अनिवार्य हो। अतः इस बारे पुनः अनुरोध किया जाता है कि इन हिदायतों का कठोरता से पालन किया जाए।

इसके अतिरिक्त सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जो अधिकारी मुख्य सचिव (सामान्य प्रशासन शाखा) की अनुमति से गृह जिले में लगे हुये हैं (जिला महेन्द्रगढ़ तथा जिला भिवानी में लोहारू (तहसील को छोड़कर) उपरोक्त के दृष्टिगत उन्हें भी गृह जिले से बाहर बदल दिया जाये और किसी अधिकारी को उपरोक्त दिये गये कारणों से अपने गृह जिले में रखना अति आवश्यक हो तो वह मामला मुख्य सचिव को पुनः अनुमति के लिये भेज दिया जाये।

भवदीय,

हस्ता/-

उप सचिव सामान्य प्रशासन

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

एक प्रति सभी वित्तायुक्त/आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

हस्ता/-

उप सचिव, सामान्य प्र.

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

सेवा में

सभी वित्तायुक्त/आयुक्त एवं सचिव/हरियाणा सरकार।